



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अप्रैल 28, 2011/वैशाख 8, 1933

No. 87]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2011/VAISHAKHA 8, 1933

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2011

सं. एपीडा/प्रशासन/आईसी/25/2011.—कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में समूह क, ख, ग, और घ के पदों पर भर्ती के तरीके को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (भर्ती) संशोधित 2011 विनियम 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभिक संगठन

सभी वर्तमान नियमित अधिकारी एवं कर्मचारी जिनको इन विनियमों के तहत नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, इन विनियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और नियमित आधार पर उनकी सेवा की परिवीक्षा, पुष्टि और प्रोन्नति के प्रायोजनों के लिए गिनती में लिया जाएगा।

3 परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (i) "अधिनियम" से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) अभिप्रेत है;
- (ii) "नियुक्ति" के अंतर्गत सीधी भर्ती, प्रोन्नति द्वारा और किसी अन्य विहित माध्यम से नियुक्ति अभिप्रेत है;

- (iii) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एपीडा के अध्यक्ष
- (iv) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

“नियुक्ति प्राधिकारी”

- (i) महाप्रबंधक के स्तर तक सभी पद जिनके ग्रेड वेतन 7600/-रु से अधिक न हो-अध्यक्ष
- (ii) निदेशक-अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से
- (iii) सचिव-अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से
- (iv) “विभागीय अभ्यर्थी”

प्राधिकरण के सभी ऐसे कर्मचारी जो प्रोन्नति के लिए विचाराधीन अभ्यर्थी है;

- (v) “विभागीय प्रोन्नति समिति” या डी पी सी” से उन कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए जिन्होंने अपेक्षित वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और प्रोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हैं, मामलों पर विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है। डी.पी. सी का गठन अनुसूची में प्रत्येक पद के स्तंभ 14 में इंगित रूप में होगा।

“प्रतिनियुक्ति” से केंद्रीय / राज्य सरकारों / पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों / स्वशासी निकायों के कर्मचारियों की सेवाएं उधार लेना अभिप्रेत है;

- (vi) “सीधी भर्ती” से नियोजन कार्यालय से अभ्यर्थियों की मांग करके / विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करके / प्राधिकरण के पात्र कर्मचारियों से आवेदन स्वीकार करके भर्ती अभिप्रेत है:

परंतु जहां कहीं अध्यक्ष द्वारा भर्ती प्रक्रिया के भाग के रूप में आवश्यक समझा जाए, वहां लिखित परीक्षा विहित की जा सकेगी। प्राधिकरण के कर्मचारियों को, यदि भर्ती किए जाते हैं तो भर्ती के प्रयोजनों के लिए सीधे भर्ती किए गए कर्मचारी समझा जाएगा और वे पिछली सेवा की गणना करने के संबंध में केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा शासित होंगे।

- (vii) “कर्मचारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियमित पद धारण कर रहा है और संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट कोई भी पद धारण कर रहा है।
- (viii) “सरकार” से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;
- (ix) “वेतन” से मूल नियम और पूरक नियम में यथापरिभाषित वेतन अभिप्रेत है;
- (x) “अनुसूची” से इन विनियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (xi) “सेवा” से प्राधिकरण में सेवा अभिप्रेत है;
- (xii) “विनियम” अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;
- (xiii) “नियम” से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम 1986 एवं किसी प्रकार का अन्य नियम जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए से अभिप्रेत हैं;

4 लागू होना

ये विनियम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसूची में स्तंभ 1 में वर्णित प्राधिकरण के सभी पदों को लागू होंगे।

5 वेतनमान, अर्हताएं, भर्ती का तरीका

सेवा में विभिन्न पदों के वेतनमान, उक्त पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं और भर्ती का तरीका वह होगा जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

6 कतिपय प्रवर्गों के व्यक्तियों की बाबत आरक्षण, शिथिलता आदि

इन विनियमों की कोई बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में शिथिलताओं और अन्वय रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

7 नियुक्ति करने की शक्ति:

- (1) अध्यक्ष, निदेशक और सचिव के सिवाय सभी नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी।
- (2) अध्यक्ष अतिआवश्यक मामलों में और कार्य की अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए किसी रिक्ति में, चयन समिति द्वारा चयन किए बिना, तदर्थ नियुक्तियां करने के लिए सशक्त होगा यदि ऐसी रिक्ति ऐसे पद में है जिसका वेतनमान ऐसा है जिसका ग्रेड वेतन रु 7600/- प्रति माह से अधिक नहीं है और ऐसी नियुक्तियां एक समय में नब्बे दिन से अधिक अवधि के लिए या कुल मिलाकर एक वर्ष के लिए अथवा उस समय तक के लिए होगी जब ऐसे पद पर नियुक्त या प्रोन्नति इन नियमों के अनुसार कर दी जाती है, जो भी पूर्वतर हों।

8 शिथिलीकरण

जहां अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किस जाएंगे, समूह घ, ग, और ख प्रवर्ग के पदों पर व्यक्तियों की बाबत इन नियमों के उपबंधों में से किसी में छूट दे सकेगा। तथापि, समूह क के पदों के लिए इन नियमों के उपबंधों में कोई भी छूट सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही जाएगी।

9. अयोग्यता

कोई भी व्यक्ति

क. जो एक पति या पत्नी के जीवित होने के साथ, एक व्यक्ति के साथ शादी के अनुबंध में प्रवेश किया है।

ख. जो एक पति या पत्नी के जीवित होने पर किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अनुबंध में प्रवेश किया है, किसी भी पदों की नियुक्ति के पात्र होंगे यदि केंद्रीय सरकार द्वारा किया जा सकता है, अगर संतुष्ट है कि इस तरह की शादी, ऐसे व्यक्ति अन्वय पार्टी के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमति दी जाती है और इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को मुक्त करने के लिए अन्य कारण उपलब्ध हो।

ग. जो किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए देश के कानून के किसी न्यायालय द्वारा दंडित हो जो अन्यथा नियमों के तहत किसी भी सरकारी सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिए रोक लिया गया हो।

10. व्याख्या

प्रस्तावित - यदि इन नियमों के व्याख्या हेतु किसी प्रकार के प्रश्न उठते हैं, यह केन्द्र सरकार को फैसले के लिए भेजा जाएगा।

11. निरसन

प्रस्तावित - कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भर्ती नियम, 2001, जी एस पी - 119 के तहत दिनांक 04.05.2001 को अधिसूचित, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

अनुसूची
पद - 1

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा (पेंशन) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
निदेशक	1	समूह 'क'	रु. 37400-67000 ग्रेड वेतन रु. 8700	चयन पद	50 वर्ष से कम	लागू नहीं	आवश्यक: 1. विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री 2. वरिष्ठ कार्यकारी स्तर पर कम से कम 15 वर्षों का अनुभव जिसमें से कम से कम दस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विकास के क्षेत्र में विशेषतः कृषि संबंधी क्षेत्रों में अनुभव 3. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 4. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान वांछनीय: डेयरी विज्ञान, मांस विज्ञान, व्यापार/बाजार विकास एवं प्रबंधन में डिग्री या डिप्लोमा।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद - 1

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आगु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रखितता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	10 एक वर्ष	11 प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 7600 ग्रेड बेटन सहित कम से कम 7 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	12 सचिव/महाप्रबंधक के पद पर कम से कम 7 वर्षों का नियमित अनुभव ।	13 लागू नहीं	14 1. संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो ईपी (एपी) विभाग का कार्यभार संभाल रहे हों एवं इस समिति के अध्यक्ष हों 2. अध्यक्ष, एपीडा 3. प्राधिकरण के दो सदस्य 4. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद-2

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
महाप्रबंधक	03	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 7600	चयन पद	50 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. कृषि, विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री 2. केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय इत्यादि में वरिष्ठ प्रबंधकीय स्तर के नियमित पद पर कम से कम 7 वर्षों का अनुभव 3. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान वांछनीय: खाद्य, डेयरी विज्ञान, मांस विज्ञान, बागवानी, बाजार अनुसंधान एवं प्रबंधन एवं पैकेजिंग में डिग्री या डिप्लोमा, सीए/आई. सी.डब्ल्यू.ए/सी एस संस्था में सदस्यता 2. कृषि उपजों एवं उसके उत्पादों का ज्ञान 3. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान 4. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदाज और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यलयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यलयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद - 2

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा</p>	<p>भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रखितता</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>
<p>9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों।</p>	<p>10 एक वर्ष</p>	<p>11 प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) सम्बुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 6600 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।</p>	<p>12 उप महाप्रबंधक के पद पर कम से कम 7 वर्षों का नियमित अनुभव।</p>	<p>13 लागू नहीं</p>	<p>14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के बोर्ड के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीआ 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -2 (क)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
महाप्रबंधक (आई पी आर डब्ल्यू टी ओ, अवसंरचना)	01	समूह 'क'	रु. 15600-38100 ग्रेड वेतन रु. 7600	चयन पद	50 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 2. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. कृषि विज्ञान एवं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित कार्य में 15 वर्षों का अनुभव जिनमें से 7 वर्ष का अनुभव ट्रेड मार्को, पेटेंटो एवं भौगोलिक संकेतो (पी आई) इत्यादि में कानूनी पंजीकरण में अनुभव । <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि विज्ञान एवं उसके उत्पादों का ज्ञान 2. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान 3. आई पी आर/डब्ल्यू टी ओ संबंधी विषयों का ज्ञान 4. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदाज़न और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया ।

पद - 2 (क)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवर्द्धा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	10 एक वर्ष	11 सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 6600 ग्रेड वेतन सहित पदाधिकारी जिनको संबंधित क्षेत्र में नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो। टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीव्यय प्रतिनियुक्ति के फत्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के बोर्ड के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीड 5. सचिव /प्रभारी महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन), एपीड 6. केन्द्रीय सरकार के उपर्युक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -3

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अवयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सचिव	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 7600	चयन पद	50 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री 2. केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकायों में इससे एक स्तर न्यून पद पर प्रशासन/लेखा/वित्त/कानूनी एवं बाजार संबंधी मामलों पर कार्य करते हुए नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव । <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की सदस्यता 2. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 3. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान 4. कानून में डिग्री

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लकादीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी ।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद -3

सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिष्कार की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रत्येकता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति/ठेका के लिये हों।	10 एक वर्ष	11 प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) सम्बुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 6800 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	12 उप महाप्रबंधक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव।	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपनिदेशक वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीड 5. केंद्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -4

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
उप महाप्रबंधक	2 07	3 समूह 'क'	4 रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 6600	5 चयन पद	6 45 वर्ष से अधिक न हो	7 लागू नहीं	8 आवश्यक: 1. कृषि, विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री 2. केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय इत्यादि में वरिष्ठ प्रबंधकीय स्तर के नियमित पद पर कम से कम 5 वर्षों का अनुभव 3. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 4. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान शॉर्टलीस्ट: 1. खाद्य डेब्टी विज्ञान/पांस विज्ञान, बागवानी, कृषार अनुसंधान एवं प्रबंधन एवं रीकोजिम में डिग्री या डिप्लोमा, सीए/आईसीडब्ल्यूसीएस संस्था में सतस्यता 2. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. कृषि उपलों एवं उसके उत्पादों का ज्ञान 3. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अवमान और निकोबार दीप और लकादीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -4

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p>	<p>परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा</p>	<p>भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रविष्टता</p>	<p>सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति सम्मिति है, तो उसकी संरचना</p>
<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>13</p>	<p>14</p>
<p>प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।</p>	<p>एक वर्ष</p>	<p>5 पद प्रोन्नति द्वारा 2 पद सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति क) सम्बुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 5400 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।</p>	<p>सहायक महाप्रबंधक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव ।</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>1. सम्मिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीआ 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति आरम्भिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद -4 (क)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
उप महाप्रबंधक (आई पी आर डेब्यू टी ओ. टी. बी. टी)	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 6600	चयन पद	45 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 2. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. कृषि विज्ञान के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव जिनसे से 5 वर्षों का अनुभव ट्रेड मार्को, पेटन्टो एवं भौगोलिक संकेतो (जी आई) इत्यादि में कानूनी पंजीकरण इत्यादि में हो। 4. कम्प्यूटरों में कार्य करने का ज्ञान <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि विज्ञान एवं उसके उत्पादों का ज्ञान 2. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान 3. आईपीआर/डब्ल्यूटीओ/टी.बी.टी संबंधी विषयों का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थायियों (अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अस्थायियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -4 (क)

सिधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रखितता	सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	10 एक वर्ष	11 सिधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 5400 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीआ 5. केंद्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -4 (ख)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
उप महाप्रबंधक (जैविक)	01	समूह 'क'	₹. 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹. 6600	चयन पद	45 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कृषि/विज्ञान/ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा 2. कृषि/बागवानी/जैविक/ग्रामीण प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रबंधन स्नातकोत्तर डिग्री 3. इससे एक स्तर न्यून पद पर केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव। 4. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 5. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान वांछनीय: 1. खाद्य डेयरी विज्ञान, मांस विज्ञान, बागवानी, बाजार अनुसंधान एवं प्रबंधन एवं पैकेजिंग में डिग्री या डिप्लोमा

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थिरियों (अंदाज और निकोबार दीप और लक्षदीप के अस्थिरियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -4 (ख)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीका की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिलता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	10 एक वर्ष	11 सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 5400 ग्रेड वेतन सहित नियुक्ति सेब में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीडा 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आर्थिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद -5

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक	09	समूह 'क'	₹. 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. कृषि/विज्ञान/वाणिज्य/व्यावसाय प्रबंधन/प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री 2. केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संगठनों इत्यादि में पर्यवेक्षी स्तर के नियमित पद पर कम से कम 7 वर्षों का अनुभव 3. आयात-निर्यात नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 4. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान वांछनीय: 1. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 2. कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. खाद्य डेयरी विज्ञान/मांस विज्ञान, बागवानी, बाजार अनुसंधान एवं प्रबंधन एवं फैकोजिंग में डिग्री या डिप्लोमा, सीए/आईसीडब्ल्यू/सीएस संस्था में सदस्यता 4. कंपनी सेक्रेटरीशिप में डिग्री या डिप्लोमा

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद - 5

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	प्रोन्नति में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	एक वर्ष	8 पद पदोन्नति द्वारा 1 पद सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 4800 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 3 वर्षों का अनुभव एवं रु 4600 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव एवं रुपये 4200 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	1. लेखा प्रबंधक एवं अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव के पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव एवं फील्ड अधिकारी, वरीष्ठ कार्यलय कार्यपालक, लेखापाल, कार्यपालक अधिकारी (ईडीपी) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कम से कम 8 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीडा 5. केंद्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

उपरोक्त कॉलम 12 की टिप्पणी: इस पद पर पदोन्नति पर अथवा पदोन्नति से पहले एपीडा के मुख्यालय के अतिरिक्त बाहर के किसी भी एपीडा के कार्यालय में कम से कम 1 वर्ष के वास्तविक कार्य अनुभव के लिए एपीडा द्वारा कार्यकारी निर्देश जारी किया जाएगा ।

अनुसूची
पद -5 (क)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अभयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक बागवानी (जैविक)	01	समूह 'क'	₹. 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. कृषि/बागवानी/व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री (संबंधित क्षेत्र में कृषि/बागवानी/ जैविक एवं प्राथमिक प्रबंधन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से) एवं संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव । 2. पर्यवेक्षक के स्तर पर नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संगठनों में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव । वांछनीय: 1. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 2. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद-5 (क)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आगु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रखितता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	एक वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति</p> <p>क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा</p> <p>ख) संबंधित क्षेत्र में रु 5400 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।</p>	लागू नहीं	लागू नहीं	<p>1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष</p> <p>2. प्राधिकरण के दो सदस्य</p> <p>3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय</p> <p>4. निदेशक, एसीडा</p> <p>5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति की आसंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

**अनुसूची
पद -5 (ख)**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (शैशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
			4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक (पशुपालन एवं पशुचिकित्सा)	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा/कृषि (पशुपालन सहित विषय में) में स्नातकोत्तर डिग्री एवं संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव। अथवा 2. पशुचिकित्सा में स्नातक डिग्री एवं नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संस्था में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव। वांछनीय: 1. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 2. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।
 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -5 (ख)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीका की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतितता	सब लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	एक वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति</p> <p>क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा</p> <p>ख) संबंधित क्षेत्र में रु 4800 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।</p>	लागू नहीं	लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीडा 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद-5 (ग)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक (खाद्य प्रौद्योगिकी)	01	समूह 'क'	₹. 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लापू नहीं	आवश्यक: 1. खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री एवं संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव/नियमित सेवा। अथवा 2. खाद्य प्रौद्योगिकी के विषय में बी. टेक स्नातक डिग्री एवं नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संस्था में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव। वांछनीय: 1. विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 2. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थिरता (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षद्वीप के अस्थिरता से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, अनुसूचीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कक्षा गया है।

अनु-5 (ग)

<p>सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आनु और शौभिक अर्हताएं प्रो-नत्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p>	<p>9 प्रो-नत्ति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं ।</p>	<p>परिशीला की अवधि यदि कोई हो</p>	<p>10 एक वर्ष</p>	<p>प्रो-नत्ति/प्रतिनियुक्ति/स्वा-कारण मर्ती की दशा में वे शौभिकों कि-नके प्रो-नत्ति/प्रतिनियुक्ति/स्वा-कारण किया जाएगा</p>	<p>11 सीधे मर्ती द्वारा बिकरके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्वा-कारण</p>	<p>मर्ती की पहलियों द्वारा परे जाने वाले एवों की प्रक्रिया</p>	<p>12 लागू नहीं</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श</p>	<p>13 लागू नहीं</p>	<p>यदि विभागीय प्रो-नत्ति सम्पत्ति है तो उसकी संरचना</p>	<p>14 1. सम्पत्ति का अन्वय-अन्वय 2. प्राधिकरण के ले-उत्तर 3. निदेश/परिपत्र सम्पत्ति विकल्प सम्पत्ति एवं उत्तर 4. निदेश, एकीक 5. के-डीय उत्तर के अन्वय प्रश्न के उत्तरदाता के सम्पत्ति</p>
--	--	-----------------------------------	-----------------------	--	---	--	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--	---

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुछ अवधि सम्बन्धित क्षेत्र में से अधिक नहीं होगी ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक (वनस्पति विकृति विज्ञान)	01	समूह 'क'	रु. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री एवं वनस्पति विकृति विज्ञान विषय में विशेषज्ञता सहित। अथवा प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि, बागवानी एवं ग्रामीण प्रबंधन में व्यावसायिक प्रबंधन स्नातकोत्तर डिग्री। नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संस्था में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव। <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदाज और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

खण्ड-5 (घ)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवर्द्धा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों।	10 एक वर्ष	11 सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 48000 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रस्ताव क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. अधिकारियों के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव कनिष्ठ विभाग, कनिष्ठ एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीआ 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद-5 (ड)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक (विपणन विस्तार)	01	समूह 'क'	र. 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. एमबीए/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संस्था में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव। बैकरीय: 1. विपणन निकाय/ विस्तार के क्षेत्र में व्यापक प्रबंधन स्नातकोत्तर डिग्री 2. संबंधित क्षेत्र में आई आई एफ टी से डिग्री या डिप्लोमा 3. निरंतर व्यवहार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान 4. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अर्थात् करने के लिए निर्णायक तारीख मास्त में अर्थात् (अंदाज और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अर्थात् से विन्) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अर्थात् करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पट्ट-5 (ड)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रकृति	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनिधित्व के लिये हैं ।	एक वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनिधित्व/स्थानांतरण प्रतिनिधित्व</p> <p>क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अबतक</p> <p>ख) संबंधित क्षेत्र में रु 4800 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आवेगले अधिकारीगण प्रतिनिधित्व के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।</p>	लागू नहीं	लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीआ 5. केन्द्रीय सरकार के आवंटित प्रथम के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनिधित्व की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनिधित्व की कुल अवधि सातवर्षीय तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
मख-6 (ब)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अधयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक (आई पी आर/डब्ल्यू टी ओ/टीबीटी)	01	समूह 'क'	₹. 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹. 5400	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री 2. प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कानून (एल एल बी) में स्नातक स्तर की पढ़ाई 3. कृषि विज्ञान के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव जिनमें से 5 वर्षों का अनुभव ट्रेड मार्का, पेटेंटों एवं भौगोलिक संकेतों (जी आई) इत्यादि में कानूनी पंजीकरण इत्यादि में हो। 4. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान <p>वांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि उत्पाद एवं उसके उत्पादों का ज्ञान 2. आयात एवं निर्यात नीतियों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदाज और निकोबार दीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -5 (ब)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आगु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा करे जाने वाले पदों की प्रखितता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	10 एक वर्ष	11 सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 4800 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसंचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीआ 5. केंद्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पर-5 (क)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	व्ययन पर अथवा व्ययमान पर	सीधे यती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनुसूची के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का परम्यत केन्द्रीय विहित सेवा (विमान) नियम 1972 के नियम 30 के तर्जिन अनुसूच्य है का नहीं	सीधे यती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनुसूचित शैक्षिक और अन्य वर्गधारण
1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक महाप्रबंधक (कीट-विज्ञान)	01	एफ 6	रु. 15800-39100 ग्रेड वेतन रु. 5400	व्ययन पर	40 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यकत: 1. प्राविधिकान में स्नातकोत्तर शिती एवं कीट-विज्ञान विषय में विशेषज्ञता रहित 2. नियमित सेवा में केन्द्रीय/राज्य सरकार/राज्य/राजस्थानिक निकाय/निजी संस्था में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव संशर्त: 1. विशेष आकार शिती एवं प्रशिक्षकों का पूर्ण ज्ञान 2. कम्प्यूटर में कार्य करने का ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख यात्रा में आयुसीमा तारीख और लक्ष्यीय के आयुसीमा से शिती से अकेल प्राप्त करने के लिए निकल की र्थ अन्तिम तारीख होगी।
 रोजगार कार्यालयों के मध्यम से की जाने वाली र्थ/निर्णयित की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक सेवानाव कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -5 (क)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए रिहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	10 एक वर्ष	11 सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 4800 ग्रेड बेटन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्राधिकरण के दो सदस्य 3. निदेशक/उपसचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 4. निदेशक, एपीड 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

आयुषी
पद -6

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	व्ययन पद अथवा अद्ययन पद	सिधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सिधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
लेखा प्रबंधक	01	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4600	चयन पद	40 वर्ष से अधिक न हो	तामू नहीं	<p>आवश्यक: वाणिज्य में लेखाशास्त्र, गणित एवं मध्यवर्ती सीए/आईसीडब्ल्यू/सीएस सहित स्नातक डिग्री एवं लेखाशास्त्र में 3 वर्षों का अनुभव अथवा लेखा के एसएस परीक्षा में उत्तीर्ण हो और सरकारी लेखा प्रबंधन में 3 वर्षों का अनुभव अथवा लेखा परीक्षा/लेखाशास्त्र/सरकारी लेख में 7 वर्षों के अनुभव सहित वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री</p>

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पर - 6

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	भर्ती की पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रखितता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 4200 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	लागू नहीं	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि 3. निदेशक, एपीड 4. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीड 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद -7

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वर्तमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
अध्यक्ष के कार्यपालक सचिव	01	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4600	चयन पद	35 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <p>(1) प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से विज्ञान/कला/वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री ।</p> <p>(2) पब्लिक सेक्टर उपक्रम या ख्याति प्राप्त किसी निजी कंपनी के मुख्य कार्यपालक/वरिष्ठ कार्यपालक के निजी सचिव के रूप में तत्समान स्तर पर कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव एवं आभुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट</p> <p>(3) अंग्रेजी में अच्छी प्रवीणता रखता हो और विस्तार से नेमी पत्राचार को संभालने में समर्थ होना चाहिए ।</p> <p>बांछनीय</p> <p>तदनुसृत स्तर पर कम से कम 7 वर्षों का अनुभव</p>

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अवमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद - 7

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रकृति	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	10 एक वर्ष	11 100% प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समस्तुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) संबंधित क्षेत्र में रु 4200 ग्रेड वेतन सहित कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	12 वरिष्ठ वैयक्तिक कार्यपालक/अध्यक्ष के वरिष्ठ वैयक्तिक कार्यपालक के पद पर कम से कम 5 वर्षों की नियमित सेवा	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि 3. निदेशक, एपीआ 4. सचिव, एपीआ 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद - 8

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	चयन पद अथवा अवयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
लेखापाल	03	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वैतन रु. 4200	चयन पद	30 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. वाणिज्य में लेखाशास्त्र, गणित सहित स्नातक डिग्री 2. लेखाशास्त्र में नियमित पद पर 5 वर्षों का अनुभव 3. कम्प्यूटरी में कार्य करने का ज्ञान वांछनीय सरकारी लेखा प्रबंधन प्रक्रियाओं का पर्याप्त अनुभव एवं लेखापरीक्षा एवं आई सी डब्ल्यू ए के सदस्य

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थिरियों (अंदाज और निकोबार दीप और लक्षदीप के अस्थिरियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विक्रित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	9	पारिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	11	प्रोन्नति भर्ती द्वारा मरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	14
	10			12				13

प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतियुक्ति के लिये हैं।	दो वर्ष	50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतियुक्ति/स्थानांतरण प्रतियुक्ति (क) सम्बन्धित पदों के व्यक्ति अथवा (ख) रु. 2800 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव एवं रु. 2400 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	सहायक कार्यपालक (ईडीपी) के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव अथवा सहायक कार्यपालक/नकद कार्यपालक/वैयक्तिक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव बहाते वाणिज्य एवं लेखाशास्त्र में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. निदेशक, एपीआ 3. वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि 4. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीआ 5. केंद्रीय सरकार के आवेक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी
---	---------	---	---	-----------	---

प्रतियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची

पद - 9

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा	सोचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
पुस्तकालयाध्यक्ष	01	समूह 'ख'	रु. 9900-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन पद	30 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर के साथ स्नातक।

* आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अर्थार्थियों (अंदाज और निकोबार दीप और लक्षदीप के अर्थार्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद - 9

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिलिपि	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता-हैं।	दो वर्ष	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा</p> <p>ख) इससे एक स्तर न्यून पद पर कार्य करते हुए कम से कम 5 वर्षों का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।</p>	<p>(1) सहायक कार्यपालक (ईडीपी) के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव</p> <p>(2) सहायक कार्यपालक/व्यक्तिगत कार्यपालक/नकद कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव</p>	लागू नहीं	<p>1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक</p> <p>2. सचिव, एपीडा</p> <p>3. महाप्रबंधक</p> <p>4. प्रभारी समूह 'क' अधिकारी (कार्मिक व प्रशा.), एपीडा</p> <p>5. केन्द्रीय सरकार के आपसित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति की आरम्भिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -10

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
कार्यपालक अधिकारी (ईडीपी प्रोग्रामर)	02	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन पद	30 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. विज्ञान/गणित/कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक हो। 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ख्यातिप्राप्त संस्थान से एक वर्ष के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में अल्पकालिक पाठ्यक्रम। 3. संबंधनात्मक डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करते हुए छोटी उत्पादनात्मक भाषा में प्रोग्रामिंग का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष कंप्यूटर पर हो।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थायियों (अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अस्थायियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पृष्ठ -10

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p>	<p>परिचक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा</p>	<p>प्रोन्नति भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रखिताता</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</p>
<p>9</p> <p>प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों।</p>	<p>10</p> <p>दो वर्ष</p>	<p>11</p> <p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) इस्से एक स्तर न्यून पद पर आई टी/बाटा प्रविष्टि के क्षेत्र में कार्य करते हुए कम से कम 5 वर्षों का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।</p>	<p>12</p> <p>कार्यपालक(ईडीपी) के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव</p>	<p>13</p> <p>लागू नहीं</p>	<p>14</p> <p>1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. निदेशक, एपीडा 3. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीडा 4. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति की आर्थिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पृष्ठ -11

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अधयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
	2	3	4	5	6	7	8
फील्ड अधिकारी	04	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200/-*	चयन पद	35 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. विज्ञान/गणित/कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. नियमित सेवा में केन्द्रीय/अर्द्ध सरकारी/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संस्था में समतुल्य कार्य एवं कार्यभार सहित कम से कम 3 वर्षों का अनुभव। 3. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान बांछनीय शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रयोग/प्रमाण पत्र सांख्यिक/कृषि विज्ञान एवं विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान

* आयु सीमा अर्थात् करने के लिए निर्धारित तारीख मध्य में अर्थात् (अंशान और निकोबार द्वीप और अण्डमानीय द्वीपों से अर्थात् से मिन) से आगे प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली सर्व/निर्दिष्ट की स्तर में आयुसीमा अर्थात् करने के लिए निर्धारित तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

* वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर ग्रेड वेतन रु. 4600/- परिवर्धित हो जायेगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	प्रोन्नति/प्रतियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	प्रोन्नति भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	संघ लोक सेवा आयोग से	यदि विभागीय प्रोन्नत समाप्त ह, तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा कार्यालय कार्यालय के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव से	लागू नहीं	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. निदेशक, एपीआ 3. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीआ 4. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतियुक्ति की आर्थिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -12

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	आवश्यक:
वरिष्ठ कार्यालय कार्यालय	04	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200/-	चयन पद	35 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	1. विज्ञान/गणित/कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. नियमित सेवा में केन्द्रीय/अर्द्ध सरकारी/राज्य सरकार/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/निजी संस्था में समतुल्य कार्य एवं कार्यभार सहित कम से कम 3 वर्षों का अनुभव। 3. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान
							वांछनीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम/कृषि विज्ञान एवं विदेश व्यापार नीति एवं प्रक्रियाओं का संपूर्ण ज्ञान

* आयु सीमा अस्वीकारित करने के लिए निर्णायक तारीख भास्स में अर्थात् तारीख और तिकोबार थीप और ल्हादीप के अर्थात् तारीख से निम्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/प्रतियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अस्वीकारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

* वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर ग्रेड वेतन रु. 4600/- परिवर्तित हो जाएगा।

पद -12

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा</p>	<p>प्रोन्नति भर्ती द्वारा बरे जाने वाले पदों की प्रकृति</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>
<p>9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों।</p>	<p>10 दो वर्ष</p>	<p>11 प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) इससे एक स्तर न्यून पद पर कार्य करते हुए कम से कम 5 वर्षों का अनुभव। टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।</p>	<p>12 अध्याक्ष के वरिष्ठ वैयक्तिक कार्यपालक/वरिष्ठ वैयक्तिक कार्यपालक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक/कार्यालय कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव।</p>	<p>13 लागू नहीं</p>	<p>14 1. समिति का अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. निदेशक, एपीडा 3. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीडा 4. केंद्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूचा
पद -13

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1 कार्यालय कार्यपालक	2 08	3 समूह 'ख'	4 ₹. 9300-34800 ग्रेड वेतन ₹. 4200/-	5 चयन पद	6 25 वर्ष से अधिक न हो	7 लागू नहीं	8 आवश्यक: 1. विज्ञान/गणित/व्यावसायिक प्रशासन में स्नातक डिग्री। 2. केन्द्रीय/स्वायत्त/निजी संस्था में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव। 3. कम्प्यूटर्स में कार्य करने की प्रवीणता।

* आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पृष्ठ-13

<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आगु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रकृति</p>	<p>प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा</p>	<p>संच लोक सेवा आयोग से परामर्श</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>
<p>9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।</p>	<p>10 दो वर्ष</p>	<p>11 75% प्रोन्नति 25% सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 2800 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव एवं रु 2400 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।</p>	<p>12 सहायक कार्यपालक/नकद कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 5 वर्षों का अनुभव</p>	<p>13 लागू नहीं</p>	<p>14 1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीआ 3. महाप्रबंधक 4. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
वरिष्ठ वैयक्तिक कार्यपालक	06	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200/-	चयन पद	25 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. किसी भी विषय में स्नातक डिग्री। 2. आशुलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट प्रवीणता। 3. आशुलिपिक के पद पर नियमित सेवा में 3 वर्षों का अनुभव।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -14

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रकृति	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	दो वर्ष	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>क) सम्पुल्य पदों के व्यक्ति अथवा</p> <p>ख) रु 2400 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारी/प्रतिनियुक्ति के यात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।</p>	व्यक्तिक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 5 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> 1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीडा 3. महाप्रबंधक 4. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आर्थिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -15

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अवयव पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	01	समूह 'ख'	₹. 9300-34800 ग्रेड वेतन ₹. 4200	चयन पद	25 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी के साथ हिन्दी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी/ अंग्रेजी के साथ बैचलर डिग्री तथा हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अदमान और निकोबार दीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं</p>	<p>परिचिक्षा की अवधि, यदि कोई हो</p>	<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता</p>	<p>प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>
<p>9 आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता-हैं।</p>	<p>10 दो वर्ष</p>	<p>11 प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समस्तुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) इससे एक स्तर च्यून पद पर कार्य करते हुए कम से कम 5 वर्षों का अनुभव। टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।</p>	<p>12 (1) सहायक कार्यपालक (ईडीपी) के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव (2) सहायक कार्यपालक/वैयक्तिक कार्यपालक/नकद कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव</p>	<p>13 लागू नहीं</p>	<p>14 1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीआ 3. महाप्रबंधक 4. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 5. केंद्रीय सरकार के अधिकृत प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

नियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
अध्यक्ष के वरिष्ठ वैयक्तिक कार्यपालक	01	समूह 'ख'	रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4200	चयन पद	25 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	आवश्यक: 1. किसी भी विषय में स्नातक डिग्री । 2. आशुलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट प्रवीणता । 3. समतुल्य पद पर नियमित सेवा में 3 वर्षों का अनुभव ।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।
 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद -16

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रविष्टता	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	सब लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9 नहीं	10 दो वर्ष	11 प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समस्त पदों के व्यक्ति अथवा ख) इससे एक स्तर चून पद पर कार्य करते हुए कम से कम 5 वर्षों का अनुभव । टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीयण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।	12 वैयक्तिक कार्यालय के पद पर नियमित सेवा में 5 वर्षों का अनुभव	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीडा 3. महाप्रबंधक 4. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

पद -17

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अधयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
कार्यपालक (ईडीपी)	04	समूह 'ग'	रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2800	चयन पद	25 वर्ष से अधिक न हो	लागू नहीं	<p>आवश्यक:</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से विज्ञान/गणित/ कम्प्यूटर में स्नातक डिग्री एवं विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर में कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा पाठ्यक्रम। कम्प्यूटर प्रचालन में कम से कम दो वर्षों का संबंधित अनुभव। <p>वांछनीय</p> <ol style="list-style-type: none"> स्प्रेडशीट, आर.डी.बी.एम.एस प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर कार्य एवं यूनिक्स/लेन का कार्यसाधक ज्ञान

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अर्हमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -17

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आधु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीका की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रवृत्तता	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों।	दो वर्ष	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>क) समस्त पदों के व्यक्ति अथवा</p> <p>ख) इससे एक स्तर न्यून पद पर कार्य करते हुए कम से कम 3 वर्षों का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।</p>	सहायक कार्यपालक/वैयक्तिक कार्यपालक/नकद कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 3 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं	<p>1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक</p> <p>2. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीडा</p> <p>3. महाप्रबंधक</p> <p>4. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी</p> <p>5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी</p>

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -18

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
वैयक्तिक कार्यपालक	09	समूह 'ग'	₹. 5200-20200 ग्रेड वेतन ₹. 2400	चयन पद	18-25 वर्ष (दोनों शामिल)	लागू नहीं	आवश्यक: 1. किसी भी विषय में स्नातक डिग्री एवं आयुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट प्रवीणता ।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थायियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अस्थायियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए लियत की गई अंतिम तारीख होगी ।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद -18

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रकृति	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9 प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	10 दो वर्ष	11 प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 1900 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 8 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकांश प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	12 लागू नहीं	13 लागू नहीं	14 1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशा.), एपीडा 3. महाप्रबंधक 4. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 5. केंद्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद-13

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
	2	3	4	5	6	7	8
सहायक कार्यपालक	13	समूह 'ग'	रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2400	चयन पद	18-25 वर्ष (दोनों शामिल)	लागू नहीं	आवश्यक: 1. किसी भी विषय में स्नातक डिग्री 2. केन्द्रीय/स्वायत्त/निजी संस्था में अनुसूचितीय कार्य करने में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव। 3. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदाज और निकोबार दीप और लक्षदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -19

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	प्रोन्ति भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्ति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्ति समिति है तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्ति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हैं।	दो वर्ष	प्रोन्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा ख) रु 1900 ग्रेड वेतन सहित नियमित सेवा में कम से कम 8 वर्षों का अनुभव टिप्पणी: प्रोन्ति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे।	कनिष्ठ सहायक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 8 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीडा 3. महाप्रबंधक 4. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आर्थिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची
पद -20

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान	चयन पद अथवा अभ्ययन पद	सौची भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सौची भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अयोग्य शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
नकद कार्यपालक (रोकड़िया)	01	समूह 'ग'	रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2400	चयन पद	18-25 वर्ष (दोनों शामिल)	तापू नहीं	आवश्यक: 1. वाणिज्य में स्नातक 2. किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में रोकड़ संभालने का दो वर्ष का अनुभव ।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद -20

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
प्रोन्नति के लिये नहीं एवं प्रतिनियुक्ति के लिये हों ।	दो वर्ष	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>क) समतुल्य पदों के व्यक्ति अथवा</p> <p>ख) रु 1900 ग्रेड वेतन सहित निम्नलिखित सेवा में कम से कम 8 वर्षों का अनुभव</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में आनेवाले अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति के पात्र होने के लिए योग्य नहीं होंगे ।</p>	कनिष्ठ सहायक कार्यपालक के पद पर नियमित सेवा में 8 वर्षों का अनुभव	लागू नहीं	<ol style="list-style-type: none"> 1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीआ 3. महाप्रबंधक 4. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद -21

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अवयव पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (प्रशान) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
कनिष्ठ सहायक कार्यपालक	16	समूह 'ग'	रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 1900	चयन पद	18-25 वर्ष (दोनों शामिल)	लागू नहीं	आवश्यक: 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य डिग्री 2. अंग्रेजी टंकण 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी टंकण 30 शब्द प्रति मिनट 3. कम्प्यूटर्स में कार्य करने का ज्ञान ।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षद्वीपों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया

पद -21

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रस्तुतिता	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे प्रोगियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीड 3. महाप्रबंधक 4. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची
पद -22

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अवयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
डाईटर	02	समूह 'ग'	रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 1900	चयन पद	18-25 वर्ष (दोनों शामिल)	लागू नहीं	आवश्यक: 1. आठवीं स्तर तक पढाई। 2. उसके पास विधिमाम्य चालक अनुज्ञप्ति हो। 3. चालक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव 4. अच्छी दृष्टि हो और वर्णान्धता से पीड़ित न हो।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया

पद -22

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रस्तुतता	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
आयु नहीं शैक्षिक अर्हता-है।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों जिनके पास चालक के लिए अर्हता है।	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-निदेशक 2. सचिव/प्रभारी महाप्रबंधक(कार्मिक व प्रशा.), एपीड 3. महाप्रबंधक 4. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 5. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पद -23

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
जमादार	01	समूह 'घ'	रु. 4440-7440 ग्रेड वेतन रु. 1400	चयन पद	18 वर्ष से कम न हो	लागू नहीं	आवश्यक: आठवीं स्तर तक पढाई।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अस्थायियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अस्थायियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद -23

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिष्कार की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रकृति	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	सच लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	चपरासी के पद पर कम से कम चार वर्षों का अनुभव	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-सचिव 2. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 3. अध्यक्ष द्वारा नामित समूह 'क' के अधिकारी 4. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आस्थिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
दफ्तरी	01	समूह 'घ'	₹. 4440-7440 ग्रेड वेतन ₹. 1400	चयन पद	18 वर्ष से कम न हो	लागू नहीं	आवश्यक: आठवीं स्तर तक पढाई ।

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लक्षदीप के अर्थियों से गिन) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

पद 24

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रकृति	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
9	10	11	12	13	14
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	चपरसी के पद पर कम से कम चार वर्षों का अनुभव	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-सचिव 2. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 3. अध्यक्ष द्वारा नामित समूह 'क' के अधिकारी 4. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

पृष्ठ-25

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय स्थित सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
चपरसी	13	समूह 'घ'	रु. 4440-7440 ग्रेड वेतन रु. 1300/-	चयन पद	18 वर्ष से कम न हो	लागू नहीं	आवश्यक: आठवीं स्तर तक पढाई, उत्तम स्वास्थ्य एवं हिन्दी एवं अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान।

* आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों (अंदमान और निकोबार दीप और लखदीप के अभ्यर्थियों से भिन्न) से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

पद 25

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	9	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रसिद्धता	11	प्रोन्नति भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति किया जाएगा	सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
नहीं	नहीं	दो वर्ष	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	11	12	13	14
						लागू नहीं	लागू नहीं	1. समिति का अध्यक्ष-सचिव 2. कार्मिक व प्रशा के समूह 'क' के प्रभारी अधिकारी 3. अध्यक्ष द्वारा नामित समूह 'क' के अधिकारी 4. केन्द्रीय सरकार के आरक्षित प्रवर्ग के उपयुक्त स्तर के अधिकारी

प्रतिनियुक्ति की आरंभिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

असित त्रिपाठी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/166/11/असा.]

AGRICULTURE AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (APEDA)**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 2011

No. APEDA/Admn./REC/25/2001.—In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub section 3 of section 7 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986) the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, regulating the method of recruitment to the Group A,B,C and D posts in the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, namely:-

1. Short Title and Commencement

- (i) These regulations may be called Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, (Recruitment) Revised Regulations, 2011.
- (ii) It shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

2. Initial Constitution

All the existing regular employees on the roles of APEDA on the date of commencement of these regulations shall be deemed to be appointed under these regulations and their period of service of regular appointment shall be admissible for all service matters.

3. Definitions

Unless the context otherwise requires:

- (i) "Act" means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986);
- (ii) "Appointment" include direct recruitment, appointment by promotion and through any other prescribed method;
- (iii) "Chairman" means the Chairman of APEDA appointed by the Central Govt.
- (iv) "Authority" means Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority established under section 4 of the Act;

"Appointing Authority"

- (i) For all the posts carrying - Grade pay not exceeding Rs.7600/- upto the level of General Manager - Chairman
- (ii) Director - Chairman with the approval of the Central Government
- (iii) Secretary - Chairman with the approval of the Central Government
- (iv) "Departmental Candidate"
All the eligible employees in the line of promotion.
- (v) "Departmental Promotion Committee" or DPC means the committee constituted to consider cases for promotion of those employees who have

completed the required years of service and who are otherwise eligible for promotion. The composition of the DPC will be as indicated in Column.14 of each post in the Schedule.

Deputation means borrowing the services from Central/State Government/ Public Sector Undertakings/Autonomous bodies, as per the rules prescribed in this regard by the Central Government.

- (vi) "Direct Recruitment" means recruitment by calling the candidate from Employment Exchange/ inviting applications through advertisement/entertaining applications from the Authority's eligible employees.

Provided that a written test may be prescribed wherever deemed necessary by the Chairman as part of the process of direct recruitment. The Authority's employees, if recruited will be treated as direct recruits for the purposes of recruitment and will be governed by the Central Government rules regarding counting of past service.

- (vii). "Employee" means any person in regular service and holding any of the posts specified under column 1 of the schedule attached herewith.
- (viii) "Government" means the Central Government;
- (ix) "Pay" means the pay as defined under the Fundamental Rules and Supplementary Rules;
- (x) "Schedule" means the Schedule to these Regulations;
- (xi) "Service" - means in the regular service with the Authority
- (xii) "Regulations" means regulations made under the Act.
- (xiii) "Rules" means the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules 1986 and any other rule made under the Act.

4. Application

These regulations shall apply to all the posts specified under column 1 of the Schedule attached to it.

5. Scale of Pay, qualification, method of Recruitment

The scales of pay attached to different posts in the service, the minimum qualifications required for recruitment to the posts and the method of recruitment shall be as specified in the Schedule.

6. Reservations, Relaxations, etc. in respect of certain categories of persons

Nothing in these Regulations shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, OBC and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

7. Power of Appointment

- (1) All appointments except that of Chairman, Director and Secretary shall be made by the Chairman
- (2) The Chairman shall be empowered in urgent cases and to meet exigencies of work, to make adhoc appointments to a vacancy without the selection being made by the Selection Committee if such vacancy is in a post carrying a Grade pay, the maximum of which does not exceed Rs.7600/- p.m. and such appointments shall be for a period not exceeding 90 days at a time or one year in aggregate or till the appointment or promotion to such post is made in accordance with these Rules, whichever is earlier.

8. Relaxation

Where the Chairman is of the opinion that it is necessary to do so, he may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Recruitment Rules with respect to persons of Group D, C and B category of posts. However, for Group A posts, any relaxation in the provisions of these rules shall be made only with the prior approval of the Central Government.

9. Dis-Qualification

No person -

- a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living
- b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the posts.

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- c) who have been punished by any court of law of the land for any criminal act which otherwise debar any incumbent to hold any post in Government service under the rules.

10. Interpretation

Proposed - if any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

11. Repeal

Proposed - Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Recruitment Regulations, 2001, notified under GSP - 119 dated 4.5.2001 are hereby repealed.

Schedule
Post - 1

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Director	One	Group A	37400-67000 Grade Pay - Rs. 8700	Selection Post	Not above the age of 50 years	N.A.	<p>Essential</p> <p>(1) Masters Degree in Science, Commerce or Business Administration (2) Not less than 15 years experience on senior level of Executive out of which atleast 10 years in the field of International Market Development preferably in Agri related fields. (3) Sound Knowledge of foreign trade policy and procedures (4) working knowledge of computer application</p> <p>Desirable Degree or Diploma in Dairy Science, Meat Science, Trade/ Market Development and Management.</p>

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 1

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	9	Period of Probation, if any	10	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and vacancies to be filled by various methods	11	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	12	Consultation with UPSC	13	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	14
No for promotees & Yes for Deputation		One year		Promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment Deputation a) persons holding analogous posts or b) with at least 7 years experience in GP-7600. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.		Secretary/ General Manager with not less than 7 years regular service on the post		N.A.		1. Joint Secretary of Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry Looking after EP(Agri) Division as chairman of the Committee 2. Chairman, APEDA 3. Two members of the Authority. 4. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SCST/MC.	

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 2

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
General Manager	03	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 7600/-	Selection	Not above the age of 50 years	N.A.	Essential (1) Masters Degree in Science, Commerce or Agriculture and business management etc. (2) With minimum 7 years regular service on a senior managerial level in Central/ State Govt./ Autonomous/ Statutory body etc. (3) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures

Desirable
 (1) Degree/Diploma in Food Dairy Science/Meat Science, Horticulture, Market Research and Management and Packaging, membership of Institute of CA/ICWA/CS
 (2) Knowledge of agricultural produce and its products
 (3) Knowledge about import and export policies and procedures.
 (4) working knowledge of computer applications

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 2

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & yes for Deputation	One year	Promotion failing which by transfer /deputation, failing both by direct recruitment - Deputation - a) persons holding analogous posts of b) persons holding posts with Grade Pay Rs.6600 with seven years experience on regular service in related field. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	Deputy General Manager with seven years regular service on the post	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 2 (A)

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
General Manager (IPR, WTO, Infrastructure)	One	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 7600/-	Selection	Not above the age of 50 years	N.A.	Essential (1) Masters Degree in Agriculture Science from a reputed agriculture university. (2) Graduation in law (LLB) from a recognized university (3) Fifteen years experience in the field of work related to Agricultural Science and Infrastructure related projects out of which minimum 7 years experience in the field of legal registration of trademarks, patents and GI etc. Desirable (1) Knowledge of agricultural science and its products (2) Knowledge about import and export policies and procedures (3) Knowledge about the matters related to WTO/IPR. (4) Working knowledge in Computer Applications

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 2 (A)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
Promotion- N.A. Deputation- Yes	One year	Direct recruitment falling which by Deputation - a) persons holding analogous posts or	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Board 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of

							Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. Secretary/GM Incharge (P&A) Division APEDA 6. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.
			b) persons holding posts (Grade Pay Rs.6600) with seven years experience on regular service in related field. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.				

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Schedule
Post - 3**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Secretary	1	Group A	15600-39100 Grade Pay 7600	Selection	Not above the age of 50 years	N.A.	Essential 1) Masters degree in any discipline including business administration 2) Not less than 7 years regular service on the post of one stage below in Central/ State Government/ Autonomous bodies/ Public Sector Undertakings dealing with matters relating to administration/ accounts/ finance/ legal and marketing. Desirable 1) Membership of Institute of Company's Secretaries of India (2) Sound Knowledge of foreign trade policy and procedures (3) working knowledge of computer applications (4) Degree in law

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 3

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	9	Period of Probation, if any	10	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	11	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	12	Consultation with UPSC	13	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	14
No for promotion & Yes for deputation/contract		One year		Promotion failing which by transfer/Deputation failing both by direct recruitment Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding Grade Pay Rs.6600 with seven years regular service on the post Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.		Deputy General Manager with seven years regular service.		N.A.		1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.	

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 4

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Deputy General Manager	07	Group A	15600-39100 Grade Pay - 6600	Selection	Not above the age of 45 years	N.A.	Essential (1) Masters Degree in Science, Commerce or Agriculture and business management etc. (2) With minimum 5 years regular service on a senior managerial level in Central/ State Govt./ Autonomous/ Statutory body etc. (3) Sound Knowledge of foreign trade policy and procedures (4) working knowledge of computer applications

Schedule
Post - 4 (A)

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1 Deputy General Manager (WTO, TBT, IPR)	2 01	3 Group A	4 15600-39100 Grade Pay - 6600	5 Selection	6 Not above the age of 45 years	7 N.A.	8 Essential (1) Masters Degree in Agriculture Science from a reputed agriculture university. (2) Graduation in law (LLB) from a recognized university (3) Ten years experience in the field of work related to Agricultural Science out of which minimum 5 years experience in the field of legal registration of trademarks, patents and GI etc. (4) Working knowledge in Computer Applications Desirable (1) Knowledge of agricultural science and its products (2) Knowledge about import and export policies and procedures. (3) Knowledge about matters related to WTO/TBT/IPR.

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 4 (A)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rec'tt. Whether by direct Rec'tt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	in case of Rec'tt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10 One year	11 Direct recruitment failing which by Deputation -	12 N.A.	13 N.A.	14 1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority.

		a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts in (Grade Pay Rs. 5400/-) with 5 years experience. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.					3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.
--	--	--	--	--	--	--	---

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Schedule
Post - 4 (B)**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
	2	3	4	5	6	7	8
Deputy General Manager (Organic)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - 6600	Selection	Not above the age of 45 years	N.A.	Essential (1) Masters Degree in Science/ Agriculture/Rural Management from a recognized University. or (2) Master of Business Management in the field of Agricultural/Horticultural/Organic/Rural Management. (3) Minimum 5 years experience on a one stage below in Central/State Govt./Autonomous/Statutory Body (4) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures (5) working knowledge of computer applications Desirable (1) Degree/Diploma in Food Dairy Science/Meat Science, Horticulture, Market Research and Management and Packaging.

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 4 (B)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	9	Period of Probation, if any	10	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	11	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	12	Consultation with UPSC	13	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	14
No for promotion & Yes for deputation		One year		Direct recruitment falling which by Transfer/ Deputation/- a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts with Grade Pay Rs. 5400/- with 5years experience in related field. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.		N.A.	N.A.	N.A.		1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An Officer of appropriate level of Central Govt. from SC/ST/MC.	

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 5

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant General Manager	09	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	Essential (1) Masters degree in Commerce/ Science/Agriculture/Business Management/ Administration (2) Not less than 7 years experience on a regular service at a supervisory level in central/state Govt. /autonomous bodies/public sector undertakings/private organizations. (3) Working Knowledge in Computer applications. (4) Knowledge of Import Export policy and procedure.

**Schedule
Post - 5 (A)**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant General Manager Horticulture (Organic)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - P.S. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years.	N.A.	<p>Essential</p> <p>(1) Masters degree in Agriculture/Horticulture/ Business Management (in the related fields of Agriculture, Horticulture, Organic and Rural Management from the recognized university) with five years experience in related field.</p> <p>(2) Not less than 7 years experience on a regular service at a supervisory level in central/state Govt./autonomous bodies/public sector undertakings/private organizations</p> <p>Desirable</p> <p>(1) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures</p> <p>(2) Working knowledge of computer applications.</p>

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 5 (A)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	One year	Direct recruitment failing which by Transfer /Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts Grade Pay of Rs.4800/- with five years experience in related field. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule

Post - 5 (B)

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant General Manager (Animal Husbandry and Veterinary Science)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	Essential (1) Post Graduation in Veterinary Science/ Agriculture (with Animal Husbandry as a subject) with 5 years experience in related field. Or (2) Bachelor in Veterinary Science with not less than 7 years experience on regular service in Central/State Govt./Autonomous bodies/ P.S.U./Private Organization

**Schedule
Post - 5 (C)**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant General Manager (Food Technology)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	Essential (1) Post Graduation in Food Technology with 5 years experience in regular service/related field. Or (2) B. Tech in Food Technology with not less than 7 years experience in regular service in Central/State Govt./Autonomous bodies/P.S.U./Private Organization. Desirable (1) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures (2) Working knowledge of computer applications.

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 5 (C)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	One year	Direct recruitment failing which by Transfer/ Deputation - a) persons holding analogous posts or	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry

			b) persons holding posts with Grade Pay of Rs.4800/- with five years experience in related field. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.				Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/MC
--	--	--	---	--	--	--	---

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Schedule
Post - 5 (D)**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant General Manager (Plant Pathology)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	Essential (1) Master Degree in Agriculture Science with specialization in Plant Pathology as a subject. Or (2) Master of Business Management in the field of Agriculture, Horticulture and Rural Management from a Recognized University. (3) Not less than 7 years experience in regular service in Central/State Govt./Autonomous bodies/P.S.U./ Private Organization. Desirable (1) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures (2) Working knowledge of computer applications.

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

9	10	11	12	13	14
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
No for promotion & Yes for deputation	One year	Direct recruitment falling which by Transfer/ Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts with Grade Pay of Rs.4800/- with five years experience in related field. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/BC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 5 (E)

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant General Manager (Marketing Extension)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	Essential (1) Master Degree in Science/ Commerce / MBA (2) Not less than 7 years experience in regular service in Central/State Govt./Autonomous bodies/P.S.U./ Private Organization. Desirable (1) Master in Business Management in the field of Market development/Extension. (2) Degree/Diploma from IIFT in the related field. (3) Sound knowledge of foreign trade policy and procedures (4) Working knowledge of computer applications.

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	9	Period of Probation, if any	10	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	11	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	12	Consultation with UPSC	13	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	14
No for promotion & Yes for deputation		One year		Direct recruitment failing which by Transfer/Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts with Grade Pay of Rs. 4800/- with five years experience in related field. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.		N.A.		N.A.		1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 6. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/MC	

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 5 (F)

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant General Manager (WTO/TBT/IPR.)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	Essential (1) Masters Degree in Agriculture Science from a reputed agriculture university. (2) Graduation in law (LLB) from a recognized university (3) Ten years experience in the field of work related to Agricultural Science out of which minimum 5 years experience in the field of legal registration of trademarks, patents and GI etc. (4) Working knowledge in Computer Applications

Desirable	
(1) Knowledge of agricultural produce and its products	(2) Knowledge about import and export policies and procedures

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 5 (F)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees / Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	One year	Direct recruitment failing which by Transfer/ Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts with Grade Pay of Rs.4800/- with five years experience in related field. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Post - 5 (G)

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant General Manager (Entomology.)	01	Group A	15600-39100 Grade Pay - Rs. 5400/-	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	Essential (1) Masters Degree in Zoology with specialization in Entomology as a subject. (2) Not less than 7 years experience in a regular service in Central/State Government /Autonomous Bodies/P.S.U. /Private Organizations in the related field. Desirable (1) Sound Knowledge of Foreign Trade Policy and Procedures. (2) Working Knowledge in computer applications.

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 5 (G)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No to promotion & Yes for deputation	One year	Direct recruitment failing which by Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts with Grade Pay of Rs. 4800/- with five years experience in related field. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Two members of the Authority. 3. Director/DS, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry 4. Director, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 6

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
	2	3	4	5	6	7	8
Manager Accounts	1	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4600	Selection	Not above the age of 40 years	N.A.	Bachelors degree in commerce with accountancy, mathematics and intermediate CA/ICWA/CS with 3 years experience in Accountancy Or Pass in SAS Examination in Account with three year experience in maintenance of Govt. Accounts Or Post Graduate Degree in Commerce with 7 years experience in Auditing/ Accountancy/ Govt. Accounts

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 6

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees / Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputations/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	One-year	Direct Recruitment falling which Transfer/Deputations: (a) Persons holding analogous posts or (b) Persons holding posts with Grade Pay of Rs. 4200/- with five years experience in related field. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of Committee 2. Representative of Department of Commerce 3. Director, APEDA 4. Secretary/GM Incharge of (P&A), APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 7

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	3
Executive Secretary to Chairman	1	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4600/-	Selection	Not above the age of 35 years	N.A.	Essential (1) Master's Degree in Arts/ Science/Commerce from a recognized university. (2) Not less than 5 years experience at a corresponding level as Private Secretary to Chief Executive/ Senior Executive of Public Sector Undertaking or a Private company of repute with stenography speed of 120 w.p.m. (3) Should have good command of English and should be able to handle routine correspondence in detail Desirable: Not less than 7 years experience at a corresponding level of officers.

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 7

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made.	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	One year	100% Promotion failing which by deputation/ recruitment Deputation/ a) persons holding analogous posts or b) persons holding Grade Pay of Rs. 4200/- with five years experience in related field. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	Not less than 5 years regular service on the post of Senior Personal Executive / Senior Executive to Chairman.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Representative of Department of Commerce 3. Director, APEDA 4. Secretary, APEDA 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Accountant	03	Group B	9300-34800 Grade Pay - 4200/-	Selection	Not above the age of 30 years	N.A.	Essential (1) Bachelors degree in Commerce with Accountancy and Mathematics as subjects (2) Minimum 5 years experience in regular service on a post with the nature of work of accounts. (3) Knowledge of computer applications Desirable Persons having sufficient experience in handling Governmental accountancy procedures and member of chartered accounts and ICWA

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 8

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	Two year	50% by promotion. 50% by Direct Recruitment falling which transfer /Deputation. - a) Persons holding analogous posts or b) Persons holding with Grade Pay Rs.2800 with three years regular service and with 2400 with five years regular service on the post. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	Not less than three years regular service on the post of Executive (EDP) or not less than five years regular service on the post of Assistant Executive/Cash Executive/Personal Executive subject to having degree /diploma/certificate course in Accountancy and Commerce.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Director, APEDA 3. Secretary/GM in charge of (PBA), APEDA 4. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 9

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Librarian	1	Group - B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection	Not above the age of 30 years	N.A.	Essential (1) Graduate with Bachelor in Library Science from a recognized university

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 9

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	if Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
Age - No Qualification - YES	Two year	Promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment. Deputation:- a) persons holding analogous posts or b) holding post one stage below with five years regular service. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	(1) Not less than three years regular service on the post of Executive (EDP) 2) Not less than five years regular service on the post of Assistant Executive / Personal Executive/Cash Executive	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved categories

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 10

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Executive Officer (EDP Programmer)	02	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection	Not above the age of 30 years	N.A.	Essential (1) Graduate in Science /Maths/ Computer Science (2) Diploma/certificate course in computer programming and data base management system minimum for one year from a recognized university/institution of repute (3) 3 years experience in programming in forth generational language using relational data base management system out of which one year minimum on computers

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 10

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	if Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for Promotion & Yes for Deputation.	Two year	By promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment. Deputation: a) persons holding analogous posts or b) persons holding one stage below post on regular service for five years in the field of IT/Data Entry Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	Not less than three years regular service on the post of Executive EDP.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Director, APEDA 3. Secretary/ GM Incharge of (PBA), APEDA 4. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 11

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
	2	3	4	5	6	7	8
Field Officer	4	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-*	Selection	Not above the age of 35 years	N.A.	Essential 1) Post Graduate Degree in Science/ Business Administration from a recognized university 2) 3 years experience on a post having identical duties and responsibilities in a Govt./ Semi Govt./ Autonomous bodies of Central/ State Govt./ Private organizations 3) Sound knowledge of computer applications Desirable (1) Food Technology/ Diploma/ Certificate in Food Technology / Agri. Science and sound knowledge of foreign trade policy and procedures

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

* Subject to change to Rs. 4600/- after getting approval of Ministry of Finance.

Post - 11

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
N.A.	Two year	By Direct Recruitment, failing which by promotion from office executive with three years regular service on the post.	N.A.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Director, APEDA 3. Secretary/GM Incharge of (P&A), APEDA 4. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Schedule
Post - 12**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
	2	3	4	5	6	7	8
Senior Office Executive	04	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-*	Selection	Not above the age of 35 years	N.A.	Essential 1) Post Graduate Degree in Science/ Business Administration from a recognized university 2) 3 years experience on a post having identical duties and responsibilities in a Govt./ Semi Govt./ Autonomous bodies of Central/ State Govt./ Private organizations 3) Sound knowledge of computer applications Desirable (1) Food Technology/ Diploma/ Certificate in Food Technology / Agri. Science and sound knowledge of foreign trade policy and procedures

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

*Subject to change to Rs. 4600/- after getting approval of Ministry of Finance.

Post - 12

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	if Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for Promotion & Yes for Deputation.	Two year	Promotion failing which by transfer/deputation, failing both by direct recruitment Deputation - a) persons holding analogous posts or b) persons holding posts one stage below with five years experience on regular service Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	Senior Personal Executive to Chairman/Sr. Executive / Junior Translator / Office Executive with 3 years regular service on the post.	N.A.	1. Chairman as Chairman of the Committee 2. Director, APEDA 3. Secretary/GM Incharge of (PBA), APEDA 4. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 13

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Office Executive	08	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection	Not above the age of 25 years	N.A.	Essential 1) Graduate in Science/Commerce/Business Administration 2) Atleast 3 years experience in a Govt. /Autonomous or a private company 3) Sound knowledge of computers applications.

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 13

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for Promotion. Yes for Deputation.	Two year	75% by promotion. 25% by direct recruitment, failing which by transfer/deputation. Deputation: a) persons holding analogous posts or b) with three years regular service on the Grade Pay of Rs.2800/- and five years regular service on Grade Pay Rs.2400/-. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	Not less than five years regular service on the post of Assistant Executive/Cash Executive	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, Incharge (P&A)/APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Schedule
Post - 14**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Senior Personal Executive	06	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection	Not above the age of 25 years	N.A.	(1) Bachelor degree in any discipline (2) Proficiency with 100 w.p.m. speed in shorthand and 40 w.p.m. in typewriting (3) three years in regular service as a stenographer.

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 14

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probations, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	Two year	By promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment. Deputation:- a) persons holding analogous posts or b) with five years regular service in Grade Pay of Rs.2400/-. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	1) With five years regular service on the post of Personal Executive.	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, Incharge (P&A) APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 15

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Junior Hindi Translator	1	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection	Not above the age of 25 years	N.A.	Essential Masters Degree of recognized university in hindi/English as a compulsory/elective subject or as medium of examination at degree level or Bachelors degree of a recognized university with hindi/English as a compulsory subject plus a recognized/certificate course in translation from hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from hindi to English and vice-versa in Central/State Govt. offices including Govt. of India undertakings.

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 15

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	if Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
Age - No Qualification - YES	Two year	By promotion falling which by transfer/ deputation falling both by direct recruitment. - Deputation: - a) persons holding analogous posts or b) holding one stage below with five years regular service. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	1) Not less than three years regular service on the post of EDP Executive 2) Not less than five years regular service on the post of Assistant Executive / Personal Executive/ Cash Executive.	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, Incharge (P&A) APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 16

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Senior Personal Executive to Chairman	1	Group B	9300-34800 Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection	Not above 25 years	N.A.	1) Bachelors Degree in any discipline 2) Shorthand speed with 100 w.p.m. and typewriting speed with 40 w.p.m. 3) must have three years experience on the equivalent post

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 16

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
NO	Two year	By promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment. Deputation: a) persons holding analogous posts or b) with five years regular service in one stage below post Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	With five years regular service on the post of Personal Executive.	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, Incharge (P&A) APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 17

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Executive (EDP)	4	Group C	15200-20200 Grade Pay - Rs. 2800/-	Selection	Not above 25 years of age	N.A.	Essential (1) Graduate in Science/Maths/ Computer Science from a recognized university with minimum 6 months diploma course in computer from a university/institute. (2) Two years relevant experience in computer operations Desirable 1. Working knowledge under UNIX/LAN environment and on software of work processing RDBMS and spreadsheet

* The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 17

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	Two year	By promotion failing which by transfer/deputation failing both by direct recruitment. Deputation: a) persons holding analogous posts or b) with three years regular service in one stage below post Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	With three years regular service on the post of Personal Executive / Assistant Executive/Cash Executive.	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, Incharge (P&A) APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/BC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Personal Executive	09	Group C	5200-20200 Grade Pay - Rs. 2400	Selection	18 - 25 years (both inclusive)	N.A.	(1) Graduate with a speed of 80 w.p.m. in shorthand and 40 w.p.m. in typewriting.

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 18

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	Two year	By direct recruitment, falling which by transfer/deputation. Deputation:- a) persons holding analogous posts or b) with eight years regular service in Grade Pay of Rs.1900/-. Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	Not applicable	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 19

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Assistant Executive	13	Group C	5200-20200 Grade Pay - Rs. 2400	Selection	18 - 25 years (Both inclusive)	N.A.	(1) Bachelors degree in any discipline (2) Atleast one year experience in a Ministerial nature of work in Central Govt./State Govt./Autonomous Bodies (3) Working knowledge on computer application

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 19

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	Two year	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment. Deputation:- a) persons holding analogous posts or b) persons holding Grade Pay, Rs.1900/- with eight years regular service Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	Not less than eight years regular service on the post of Junior Assistant Executive.	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Schedule
Post - 20**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Cash Executive (Cashier)	1	Group C	5200-20200 Grade Pay - Rs. 2400	Selection	18 - 25 years (Both inclusive)	N.A.	(1) Graduate in commerce (2) 2 years experience in handling cash in a reputed organization

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post -20

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
No for promotion & Yes for deputation	Two year	Promotion failing which by transfer/ deputation failing both by direct recruitment Deputation:- a) Persons holding analogous posts or b) persons holding Grade Pay, Rs.1900/- with eight years regular service Note: Officers in the direct line of promotion shall not be eligible for deputation.	Not less than eight years regular service on the post of Junior Assistant Executive.	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

संक्षेप
Post - 21

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Junior Assistant Executive	16	Group C	5200-20200 Grade Pay - Rs. 1900	Selection	18 - 25 years (Both inclusive)	N.A.	(1) Bachelor Degree or equivalent (2) English typing speed of 35 w.p.m. or 30 w.p.m. in Hindi (3) Working knowledge of computer operation

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 21

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
N.A.	Two year	By direct recruitment	N.A.	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5. An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 22

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Driver	02	Group C	5200-20200 Grade Pay Rs. 1900	Selection	18 - 25 years (Both inclusive)	N.A.	Essential (1) VIII Standard (2) Should be in possession of a valid Driving License (3) 2 years experience as Driver (4) Should have good vision and not suffering from colour blindness

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 22

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees / Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation / Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
Age - no Qualification - yes	Two year	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Group 'D' staff having acquired the qualification for Driver	N.A.	1. Director as Chairperson 2. Secretary, APEDA 3. General Manager 4. Group A officer in charge of Personnel Administration 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

**Schedule
Post - 23**

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Jamadar	1	Group D	4440-7440 Grade Pay - Rs. 1400/-	Selection	Not less than 18 years	N.A.	VIII standard passed

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 23

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
NO	Two year	By Promotion falling which by direct recruitment	Not less than four years experience as Peon	N.A.	1. Secretary as Chairperson 2. Group A officer in charge of Personnel Administration 3. Any other Group A officer as nominated by Chairman 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 24

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Daftry	1	Group D	4440-7440 Grade Pay - 1400	Selection	Not less than 18 years	N.A.	VIII standard passed

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 24

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
NO	Two year	By Promotion	Not less than four years experience as Peon	N.A.	1. Secretary as Chairperson 2. Group A officer in charge of Personnel Administration 3. Any other Group A officer as nominated by Chairman 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

Schedule
Post - 25

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (pension) rule 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
Peon	13	Group D	4440-7440 Grade Pay - Rs. 1300/-	Selection	Not less than 18 years	N.A.	VIII standard with Robust health and should be able to read and write hindi and english

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andamans and Nicobar Islands and Lakshdeep). In case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Post - 25

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of Promotees/ Deputation	Period of Probation, if any	Method of Rectt. Whether by direct Rectt. or by Deputation/ Transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of Rectt. By Promotion, grades from which Promotion to be made	Consultation with UPSC	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition
9	10	11	12	13	14
NO	Two year	By direct recruitment	NA	N.A.	1. Secretary as Chairperson 2. Group A officer incharge of Personnel Administration 3. Any other Group A officer as nominated by Chairman 5 An officer equivalent to Group A officer of the Central Govt. from reserved category SC/ST/MC.

The initial period of deputation/ transfer shall be for one year. The total period of deputation shall ordinarily not exceed three years.

ASIT TRIPATHY, CHAIRMAN, APEDA

[No. ADVT. III/4/166/11/Exty.]